कार्यकारी सारांश

इस लेखापरीक्षा को करने का उद्देश्य

भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य एवं नीति निर्देशक सिद्धांत न केवल महिलाओं को समानता प्रदान करते हैं, बल्कि राज्य को उनके द्वारा सामना किए जाने वाले सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक नुकसान को कम करने के लिए महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपायों को अपनाने के लिए अधिकार भी देते हैं ।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजस्थान 2010-2016 के दौरान महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत अपराधों की उच्चतम संख्या के मामलों में देश के शीर्ष चार राज्यों में से एक था, 2017-2018 के दौरान पांचवें और 2019 के दौरान दूसरे स्थान पर था ।

राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध पंजीकृत अपराध की घटनाएं 2010 में 18,344 से बढ़कर 2019 में 41,623 हो गई, अर्थात् 2010-19 के दौरान 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर पर 126.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई । इस अवधि में राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर अखिल भारतीय औसत और पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार अधिक थी ।

विभिन्न अधिनियमों, स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों आदि के तहत निर्धारित निवारण तंत्र की कुशलता तथा किए गए या किए जाने वाले उपायों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए "राजस्थान में महिलाओं के विरूद्ध अपराध की रोकथाम, संरक्षण एवं निवारण" विषय पर निष्पादन लेखापरीक्षा की गई । लेखापरीक्षा में पांच विभागों- महिला अधिकारिता निदेशालय (मअनि), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (सान्याअवि), बाल अधिकारिता विभाग (बाअवि), गृह विभाग तथा विधिक सेवा प्राधिकरणों और दो आयोगों राजस्थान राज्य महिला आयोग (रारामआ) एवं राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (रारबाअसंआ) को शामिल किया गया ।

निष्पादन लेखापरीक्षा में इन प्राधिकरणों द्वारा नौ स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के कार्यान्वयन को सम्मिलित किया गया है । यथाः

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005;
- महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013;
- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006;
- राजस्थान डायन-प्रताडना निवारण अधिनियम, 2015;
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961;
- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012;

- अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956;
- स्त्री अशिष्ट रूपण(प्रतिषेध) अधिनियम, 1986 तथा
- सती (निवारण) अधिनियम, 1987

निष्पादन लेखापरीक्षा में मूलरुप से अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक की पांच वर्षों की अवधि को शामिल किया गया। लेखापरीक्षा निष्कर्षो पर अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह; शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास; सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण; निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और निदेशक, बाल अधिकारिता के साथ 15 फरवरी 2019 को आयोजित समापन परिचर्चा में विचार-विमर्श किया गया। चूंकि राज्य सरकार द्वारा उत्तर में अवगत कराए गये कई मुद्दों पर कार्य प्रगति पर था, लेखापरीक्षा ने मार्च 2020 तक संबंधित विभागों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरुप प्रगति को सत्यापित करने का फैसला किया। यद्यपि, कोविड-19 महामारी से उत्पन्न बाधाओं के कारण लेखापरीक्षा (अगस्त से सितंबर 2020) को जयपुर और टोंक जिलों में स्थित इकाईयों तक सीमित रखा गया। बाद में, वैश्विक महामारी की स्थिति के संबंध में सुधार और संबंधित प्रतिबंधों में ढील के पश्चात् शेष छः प्रशासनिक जिलों (उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, बारां, भरतपुर और कोटा) तथा सात पुलिस जिलों यथा उदयपुर, प्रतापगढ़, पाली, बारां, भरतपुर, कोटा ग्रामीण और कोटा शहर की लेखापरीक्षा (अगस्त-अक्टूबर 2021) की गई। लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि समग्र स्थिति में मामूली सुधार हुआ था तथा इन जिलों का प्रदर्शन अभी भी बहुत खराब था, जो चिंताजनक है।

संक्षिप्त में निष्कर्ष

महिला अधिकारिता निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा बाल अधिकारिता विभाग अपराधों की रोकथाम एवं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण, कार्यस्थलों पर लैंगिक उत्पीड़न, बाल विवाह, डायन-प्रताड़ना, दहेज प्रथा की रोकथाम एवं संरक्षण और बालिकाओं का यौन अपराधों से संरक्षण के लिए जिम्मेदार थे। इन विभागों को जनता के बीच जागरूकता सृजन करने तथा कार्यबल को प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने की आवश्यकता थी। हालांकि, महिलाओं के संरक्षण और विकास के लिए राज्य स्तर की एकीकृत कार्य योजना का अभाव, कार्यान्वित करने वाले प्रमुख कार्मिकों की जमीनी स्तर पर कमी, संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान न होना, पुनर्वास गृहों में बुनियादी सुविधाओं का अभाव और सुरक्षा कमियों ने विभिन्न नियम/अधिनियम/नीतियों के प्रभावी प्रवर्तन में बाधा उत्पन्न की।

पुलिस विभाग महिलाओं से संबंधित अपराधों को पंजीकृत करने और समय पर जांच के लिए जिम्मेदार था। हालांकि, पुलिस थानों के माध्यम से सीधे दर्ज कराने के स्थान पर वैकल्पिक माध्यम जैसे अदालत के हस्तक्षेप से दर्ज मामलों की अधिक संख्या, बलात्कार जैसे संवेदनशील अपराधों से संबंधित नमूनों को एकत्र करने, अग्रेषित करने और जांच करने में शिथिलता, महिलाओं से संबंधित अपराधों के क्षेत्र में पुलिस विभाग के अपर्याप्त कार्यप्रणाली की ओर इंगित करती है। इसके अलावा, विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक जागरूकता पैदा करने, विधिक सहायता प्रदान करने और पीड़ितों को समय पर प्रतिकर वितरण को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार थे। हालांकि, प्रमुख कार्मिकों की कमी, अद्यतन प्रशिक्षण सामग्री की कमी और निर्णय लेने में देरी के कारण पीड़ितों को प्रभावी विधिक सहायता और उचित प्रतिकर से वंचित रहना पड़ा।

निष्पादन लेखापरीक्षा के मुख्य निष्कर्ष

मुख्य लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ जो कि लेखापरीक्षा निष्कर्षों और अनुशंसाओं का आधार बनी, निम्न प्रकार हैं:-

राजस्थान में महिलाओं के विरुद्ध अपराध की सांख्यिकीय प्रवृत्ति

- 2010-19 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में 10.86 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर के साथ 126.90 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी तथा 2010-19 की अवधि में महिलाओं के विरूद्ध अपराध दर अखिल भारतीय औसत और पड़ोसी राज्यों की तुलना में लगातार अधिक थी।

(अनुच्छेद 1.1, 2.1 एवं 2.2)

- राज्य में 2010-19 की अवधि के दौरान महिलाओं से संबंधित विभिन्न स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के अन्तर्गत 3,566 अपराध के मामले दर्ज किए गए जबकि महिलाओं के विरूद्ध अपराध के 2,68,172 मामले भादसं की विभिन्न धाराओ के अन्तर्गत दर्ज किए गए।

(अनुच्छेद 2.4)

योजना

- 2012-20 के दौरान भी, न तो महिलाओं के विकास एवं संरक्षण के लिए योजनाएं संबंधित विभागों से प्राप्त हुई थी, ना ही इस तरह की योजनाओं को प्राप्त करने तथा एकीकृत करने के लिए महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा कोई प्रयास किए गए। 2013 से विचाराधीन होने के बावजूद, राज्य सरकार ने (राजस्थान राज्य महिला नीति 1996 तथा राजस्थान राज्य बालिका नीति 2013 को प्रतिस्थापित कर) अप्रैल 2021 में नई 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' को अंतिम रूप दिया और लागू किया।

(अनुच्छेद 3.1.1 एवं 3.1.4)

- महिला अधिकारिता निदेशालय द्वारा 2017-20 के दौरान बालिकाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए समेकित कार्य योजना तैयार नहीं की गई थी, हालांकि इन प्रत्येक वर्षों में संबंधित विभागों से उनके द्वारा तैयार कार्य योजनाओं को प्रेषित करने का अनुरोध किया था।

(अनुच्छेद 3.1.2)

अनुशंसाएँ

1. राज्य सरकार को 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' के अनुसार समस्त संबंधित हितधारकों से प्राप्त आदानों के आधार पर महिलाओं एवं बालिकाओं के विरूद्ध अत्याचारों और हिंसा को रोकने के लिए एक समेकित कार्य योजना तैयार करनी चाहिए।

2. महिला अधिकारिता विभाग को हितधारक विभागों के साथ समन्वय और नियमित बातचीत सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि 'राजस्थान राज्य महिला नीति 2021' के उद्देश्यों को सार्थक और प्रभावी रूप से प्राप्त किया जा सके।

प्रवर्तन

- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत घरेलू घटना प्रतिवेदन दाखिल करने के लिये, पर्याप्त संख्या में संरक्षण अधिकारियों की आवश्यकता की कमी का सामना करना पड़ा क्योंकि संरक्षण अधिकारियों के कर्तव्यों/कार्यो को अतिरिक्त रूप से महिला अधिकारिता निदेशालय के जिला कार्यक्रम अधिकारियों/प्रचेताओं को सौंपा गया था, जो विभाग में पहले से ही कम थे।

(अनुच्छेद 3.2.1)

- महिला अधिकारिता निदेशालय ने राज्य में उन सभी कार्यालयों/कार्यस्थलों जहाँ दस या अधिक कर्मचारी काम कर रहे थे, वहां आन्तरिक समिति का गठन सुनिश्चित नहीं किया था।

(अनुच्छेद 3.2.2)

- राज्य में 2010-19 के दौरान दहेज हत्या के 4,553 मामले (भादसं की धारा 304 बी) और दहेज की मांग सहित घरेलू हिंसा के 1,38,195 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन किसी भी पीड़ित व्यक्ति या रिश्तेदार ने मुख्य दहेज प्रतिषेध अधिकारी से शिकायतें दर्ज करने के लिए संपर्क नहीं किया। यह इस तथ्य की ओर इशारा करता है कि अधिनियम में निर्दिष्ट तंत्र या तो अनुपस्थित था या क्रियाशील नहीं था।

(अनुच्छेद 3.2.5)

- 2012-20 की अवधि में नमूना जांच किए गए 47 पुलिस थानों में महिलाओं के विरूद्ध अपराध से संबंधित 25,849 मामलों में से दहेज, बलात्कार, पोक्सो और घरेलू हिंसा आदि से संबंधित 5,081 मामलों (19.66 प्रतिशत) में जांच, मामला दर्ज होने के बाद 60 से 1,855 दिनों तक की देरी से पूर्ण हुई और इन मामलों में सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन भी प्राप्त नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 3.2.8)

- 2012-20 के दौरान बलात्कार और पोक्सो के 14.90 प्रतिशत (नमूना जांच के 1007 में से 150 मामले) मामलों में, यद्यपि नमूने (कपड़े, वीर्य, स्वैब, रक्त आदि) एकत्र किए गए और मालखाना (जब्त वस्तुओं का भंडार) में जमा किए गए थे, उन्हे फोरेंसिक जांच के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला नहीं भेजा गया। इसके अलावा, 2012-20 के दौरान 763 मामलों (75.77 प्रतिशत) में नमूनों को 3 साल तक की देरी से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था।

(अनुच्छेद 3.2.11.1)

- नमूने एकत्र करने में ढिलाई, परीक्षण के लिए नमूने अग्रेषित करने में विफलता या विलम्ब, परीक्षण रिपोर्ट संग्रह में विलम्ब, बलात्कार और पोक्सो से संबंधित मामलों में जांच की गुणवत्ता पुलिस की असंवेदनशीलता और घोर लापरवाही की ओर इशारा करते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसे जघन्य अपराधों की जांच और दोषसिद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(अनुच्छेद 3.2.11.1)

अनुशंसाएँ

3. राज्य सरकार को 'महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम' के प्रभावी प्रवर्तन के लिए समस्त सार्वजनिक और निजी संस्थानों में आंतरिक समितियों का गठन सुनिश्चित करना चाहिए।

4. राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि कानून द्वारा निर्धारित समय सीमा के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के दर्ज मामलों की जाँच की जाए और आरोप पत्र दायर किए जाएं।

5. राज्य सरकार को महिलाओं के विरूद्ध अपराध के मामलों को संवेदनशीलता के साथ निपटाने हेतु पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि पुलिस पर व्यापक रूप से जनता एवं विशेषकर महिलाओं का विश्वास बेहतर हो सके।

6. राज्य सरकार को उन मामलों का ब्यौरा एकत्र करना चाहिए जहाँ फोरेंसिक जाँच के नमूनों के संग्रहण और अग्रेषण में लापरवाही और देरी हुई है तथा दोषी अधिकारियों के विरूद्ध जिम्मेदारी तय करनी चाहिये।

7. विशेष रूप से बलात्कार/पॉक्सो से संबंधित मामलों की जांच की दक्षता और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए, राज्य सरकार को एमएफयू, डीएनए परीक्षण और ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग सहित जांच तंत्र का पर्याप्त उपयोग करने के लिए जांच अधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिये।

पुनर्वास

- गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित स्वाधार गृह, जो कठिन परिस्थितियों में महिलाओं को संबल प्रदान करने के लिए स्थापित किए गए थे, के द्वारा आवासनियों के प्रवेश की प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा प्रवेश की सूचना पुलिस को नहीं दी गई। इसके अलावा, आवासनियों को व्यावसायिक/कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान नहीं करवाया गया।

(अनुच्छेद 3.3.2.1)

- मार्च 2017 तक राज्य में कार्यरत सात स्वाधार गृहों में से मार्च 2020 तक केवल चार क्रियाशील रहे जबकि शेष तीन बंद कर दिए गए। स्वाधार गृहों में जो क्रियाशील थे, उनमें आवासनियों को व्यावसायिक /कौशल उन्नयन प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया।

(अनुच्छेद 3.3.2.4)

- इस योजना के तहत मार्च 2016 तक राज्य में स्थापित एवं कार्यरत आठ संरक्षात्मक और पुनर्वास (पी एंड आर) गृहों में से केवल एक पी एंड आर गृह डूंगरपुर में मार्च 2020 को क्रियाशील था।

(अनुच्छेद 3.3.3.2)

- राज्य में 861 पुलिस थानों में से केवल 52 पुलिस थानों (6.04 प्रतिशत) पर ही मार्च 2020 तक पैरा लीगल वालंटियर्स (पीएलवी) को पदस्थापित किया गया था। इसके अलावा, नमूना जांच किये गये आठ जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अंतर्गत 246 पुलिस थानों पर मार्च 2020 तक पीएलवी उपलब्ध नहीं थे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली में सभी आवश्यक 27 पीएलवी पदस्थापित थे।

{अनुच्छेद 3.3.5.2 (ब)}

अनुशंसा

8. समस्त शहरी स्थानीय निकायों, पुलिस थानों, जेलों और ग्राम पंचायत मुख्यालयों में कानूनी विधिक सहायता केन्द्र स्थापित किए जाने चाहिए और महिलाओं के विरूद्ध अपराध के पीड़ितों की सहायता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक पुलिस थाने में पैरा लीगल वालंटियर्स पदस्थापित किए जाने चाहिए।

जन जागरूकता सृजन

- पीड़ित महिलाओं से प्राप्त शिकायतों के निस्तारण के लिए राजस्थान राज्य महिला आयोग द्वारा 2013-20 के दौरान तीन जिलों (जालोर, सवाईमाधोपुर और सिरोही), 2014-20 के दौरान 8 जिलों, 2015-20 के दौरान एक जिला (चूरू) और 2017-20 के दौरान 11 जिलों में कोई सार्वजनिक सुनवाई आयोजित नहीं की गई थी।

(अनुच्छेद 3.4.5)

- लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के बारे में सरकारी अधिकारियों को जागरुक करने और संवेदनशील बनाने में बाल आधिकारिता विभाग के प्रयासों में कमी थी।

(अनुच्छेद 3.4.8)

- नमूना जांच किये गये 11 पुलिस जिलों में 2017-20 के दौरान 35.91 लाख में से केवल 0.90 लाख छात्रों ने अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने कार्यक्रम में भाग लिया था।

{अनुच्छेद 3.4.9 (बी)}

अनुशंसा

9. राज्य सरकार को महिलाओं की सुरक्षा के लिए सांविधिक उपायों के बारे में लक्षित समूहों के बीच जागरूकता उत्पन्न करने और बढ़ाने में नागरिक समाज समूहों और गैर-सरकारी संगठनों के साथ मिलकर कदम उठाने चाहिए। जिम्मेदार अधिकारियों को बड़े पैमाने पर समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए सोशल मीडिया विकल्पों का उपयोग करने की योजना बनानी चाहिए। पुलिस अधिकारियों को वार्षिक आधार पर 'अपने छात्र को जाने-अपनी पुलिस को जाने' कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए।

मानव संसाधन प्रबंधन

- सरकार द्वारा महिला अधिकारिता निदेशालय में प्राथमिकता के आधार पर रिक्त पदों को भरने के लिए दिए गए आश्वासन के बाद भी, नमूना जांच किये गए उप निदेशक/सहायक निदेशक के कार्यालय लगातार अत्यधिक कमी का सामना कर रहे थे, जो विभिन्न संवर्गों में 58.33 से 85.71 प्रतिशत तक थी। यह कमी मार्च 2020 को बारां (85.71 प्रतिशत), प्रतापगढ़ (83.33 प्रतिशत), उदयपुर (70.83 प्रतिशत), भरतपुर (70.59 प्रतिशत) और जयपुर (68.18 प्रतिशत) जिलों में बहुत अधिक थी।

(अनुच्छेद 3.5.1)

- राज्य के पुलिस विभाग में जनवरी 2020 तक कुल स्वीकृत पदों के विरूद्ध 13.61 प्रतिशत मानव संसाधन की कमी थी। इसके अतिरिक्त, आपराधिक मामलों की जांच के लिए जिम्मेदार निरीक्षक/उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक संवर्गों के जमीनी स्तर के अधिकारियों में कमी 37.71 प्रतिशत के उच्च स्तर तक थी।

(अनुच्छेद 3.5.5)

- स्वीकृत राज्य पुलिस कार्यबल में महिलाएं नौ प्रतिशत से भी कम हैं, जो जांच, नमूना संग्रह, परामर्श आदि जैसी गतिविधियों की दक्षता को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा, महिला कार्मिकों की उपस्थिति शिकायतों के पंजीकरण के लिए आगे आने के लिए पीड़ित महिला को सुविधा और आत्मविश्वास प्रदान करने में सहायक है।

(अनुच्छेद 3.5.6)

अनुशंसाएँ

10. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महत्वपूर्ण पदों जैसे संरक्षण अधिकारी, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, दहेज प्रतिषेध अधिकारी आदि को प्राथमिकता पर भरा जाये। अधिकारियों को नियमित,व्यापक और केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करके संबंधित क्षेत्रों में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है।

11. राज्य सरकार को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में अपेक्षित संख्या में प्रशासनिक पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए।

12. चूंकि 'नारी निकेतन/महिला सदन' और बालिका गृह महिलाओं और बालिकाओं को कठिन परिस्थितियों में आश्रय और राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं, इसलिए राज्य सरकार को उनके लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करना चाहिए।

13. राज्य सरकार को पुलिस विभाग और भर्ती एजेंसी के बीच समन्वय के माध्यम से पुलिस कार्यबल में महिला कार्मिकों के अनुपात को धीरे-धीरे बढ़ाने के लिए रणनीति तैयार करनी चाहिए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

- 2014-20 के दौरान कार्यक्रम अधिकारी द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के केवल 12.89 प्रतिशत (675 के विरूद्ध 87) निर्धारित दौरे किये गये थे। इसके अलावा, 2017-20 के दौरान कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों के 121 अनिवार्य निरीक्षणों के विरूद्ध जयपुर-पश्चिम, उदयपुर, प्रतापगढ़ और भरतपुर में एक भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 4.1.3)

- संबंधित अधिकारियों ने आश्रय स्थलों और सुरक्षा गृहों की उचित निगरानी नहीं की तथा महिलाओं और बालिकाओं के कल्याण के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए निर्धारित आवधिकता में बैठकें नहीं की।

(अनुच्छेद 4.1.6 और 4.1.9)

अनुशंसाएँ

14. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि राज्य स्तरीय निगरानी तंत्र राजस्थान राज्य महिला आयोग आदि के माध्यम से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कार्य करे। नामित अधिकारियों को निर्धारित संख्या में सार्वजनिक बैठकों और आंतरिक बैठकों का आयोजन करना चाहिए ताकि राज्य में महिलाओं के कल्याण और सुरक्षा के लिए किए गए उपायों की प्रभावकारिता की निगरानी की जा सके।

15. राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विभिन्न कानूनों (जैसे दहेज प्रतिषेध अधिनियम, राजस्थान किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) नियम आदि) के अनुरूप निगरानी समितियों का विधिवत गठन किया गया है और उनके द्वारा संबंधित कानूनों के अंतर्गत प्रदान किए गए अधिदेश के अनुसार कार्य किया जा रहा है।

16. आवासनियों को सेवाएं प्रदान करने में अनियमितताओं को समय पर सुधार करने के लिए स्वाधार गृहों, बालिका गृहों और संरक्षण और पुनर्वास गृहों का उचित अनुश्रवण और नियमित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।